

जिलाधिकारी, सहारनपुर के आदेश दिनांक 30.12.14 के द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-8 के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद सहारनपुर में स्थित नियोजनों के साप्ताहिक बंदी के संबंध में जनहित को दृष्टि में रखते हुए अपवादों को छोड़कर वर्ष 2015 के लिए निम्न प्रकार से जनपद सहारनपुर के विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किया गया है।

क्र० सं०	क्षेत्र	नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत	साप्ताहिक बंदी के लिए घोषित दिन
1	बेहट	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	सोमवार
2	रामपुर मनियारान	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	सोमवार
3	गंगोह	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	सोमवार
4	नागल	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	सोमवार
5	सहारनपुर-1	सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (कोर्ट रोड स्थित पुस्तक/स्टेशनरी विक्रेताओं को छोड़ते हुए)	मंगलवार
6	तीतरो	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	बुधवार
7	सरसावा	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	बुधवार
8	अम्बहेटा पीर	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	बुधवार
9	नानौता	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	बृहस्पतिवार
10	सहारनपुर-2	शक्तिचालक प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, समस्त बुड कार्विंग की दुकानें, आरा मशीनें, वाणिज्य अधिष्ठान जो शक्ति चलित है।	शुक्रवार
11	नंकुड	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	शुक्रवार
12	चिलकाना	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	शनिवार
13	देवबन्द	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	रविवार
14	गागलहेडी	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	शनिवार
15	छुटमलपुर	समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान	सोमवार
16	सहारनपुर-1(कोर्टरोड)	पुस्तक व स्टेशनरी की दुकानें व वाणिज्य अधिष्ठान	रविवार

(ए०के०गुप्त)

उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०,
सहारनपुर।

कार्यालय-उप श्रमायुक्त, उ०प्र०, श्रम भवन लेबर कालोनी, सहारनपुर।

पत्रांक 54/11/14 सहा०प्र०-2014

दिनांक 6/1/2015

प्रतिलिपि :-1-अध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल रेलवे रोड, सहारनपुर।

2-अध्यक्ष/मंत्री, आई०आई०ए०(उद्योग प्रतिनिधि) सहारनपुर चेप्टर, सहारनपुर।

3-अध्यक्ष/मंत्री, सहारनपुर इण्डो एसोसियेशन, सहारनपुर।

4-जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

5-समाचार सम्पादक ~~प्रभर इतारा दैनिक जागरण~~ को उक्त आदेश को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०,
सहारनपुर।